न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 3100–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–7–2013 पारित द्वारा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना म0प्र0 प्रकरण कमांक 62/2011–2012/निगरानी.

जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री रामानन्द सिंह कुशवाह
निवासी ग्राम बाग का पुरा
मौजा रिठौरा का पुरा, तहसील अम्बाह,
जिला मुरैना म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

1– रामदीन पुत्र श्री विजयराम
2– मुरारी
3– कप्तान
4– छोटेलाल
प्रत्यर्थी कं0 2 लगायत 4
पुत्रगण श्री रामस्वरूप
5– राजेन्द्र पुत्र रामलक्षिन
समस्त जाति कुशवाह (काछी)
निवासी ग्राम बाग का पुरा,
मौजा रिठौरा का पुरा, तहसील अम्बाह
जिला मुरैना म0प्र0
6– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, मुरैना ---- अनावेदकगण

श्री के0 के0 द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदक
श्री एस0 के0 वाजपेई, अधिवक्ता,अनावेदक कं0 1 लगायत 5
श्री बी0एन0 त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक कं0 6

:: आदेश ::

(आज दिनांक 1 – 12 – 2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण

क्रमांक 62/2011–2012/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02/7/2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक जगन्नाथ सिंह द्वारा ग्राम बाग का पुरा मौजा रिठौरा का पुरा, तहसील अम्बाह जिला मुरैना के समक्ष दिनांक 11–8–88 को आवेदन पेश कर मौजा रिठौरा का पुरा स्थित बीहड़ भूमि सर्वे नं. 704/2 रकबा 5 बीघा 7 विस्वा परिवर्तित सर्वे नं. 736 रकबा 0.51 हैक्टर एवं सर्वे नं. 737 रकबा 0.62 हैक्टर भूमि पर 5 वर्ष से कब्जा व आधिपत्यधारी होने के आधार पर उक्त भूमि का बंटन किए जाने हेतु निवेदन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पर से प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 14–9–88 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम आवंटित की गई । इस आदेश से व्यथित होकर अनावेदक रामदीन आदि द्वारा एस0डी0ओ0 के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने दिनांक 12–6–12 को आदेश पारित करते हुए तहसीलदार का बंटन आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि एस0डी0ओ0 एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि विरूद्ध हैं । एस0डी0ओ0 के समक्ष अपील अवधि में पेश नहीं की गई थी इस कारण उसे स्वीकार

करने में अनुविभागीय अधिकारी ने गंभीर भूल की है । और एस0डी0ओ0 के आदेश की पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि आवेदक के हक में बीहड़ भूमि का पट्टा दिया है जो कानूनी रूप से नहीं दिया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष विधि के प्रतिकूल हैं । राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड4 भाग 3 के प्रावधानों के अनुसार बीहड़ भूमि का बंटन किया जा सकता है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं था । इस कारण उसे अपील करने का अधिकार नहीं था विचारण न्यायालय द्वारा पट्टा देने के पूर्व सभी प्रावधानों का पालन किया गया है । अनावेदकों का विवादित भूमि पर कभी आधिपत्य नहीं रहा । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं एस0डी0ओ0 के आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि विधि विरूद्ध तरीके से विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को पट्टा दिया गया था । पट्टा दिए जाने के पूर्व ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव नहीं लिया गया और ना ही स्थल निरीक्षण किया गया । विवादित भूमि के कुछ भाग पर आवेदकों के मकान बने हैं तथा मंदिर बना हुआ है । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक कं0 6 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी

निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि वंटन का है । अपर आयुक्त द्वारा अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि आवेदक के अलावा अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन विचारण न्यायालय द्वारा नहीं लिए गए और ना ही नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया और गोपनीय तरीके से होकर आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा कराया गया है । उन्होंने यह तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 4–6–12 का उल्लेख भी अपने आदेश में किया है जिसमें प्रश्नाधीन भूमि में मंदिर, नलकूप मकान, चबूतरा, कुंआ आदि बना होना उल्लिखित है । प्रकरण में अवधि विधान के आवेदन के संबंध में अपर आयुक्त ने यह पाया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन स्वयं उपस्थित हुआ है और उसके आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । आवेदक द्वारा अवधि के बिंदु पर कोई आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नहीं की गई है । वैसे भी विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई आदेश अवैध एवं अधिकारिता रहित हो तो ऐसे आदेशों के संबंध में समयावधि की कोई बाधा नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं वह अभिलेख के अनुसार होकर औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत हैं और उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना

द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/7/2013 विधि सम्मत होने से स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर